ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **30 December, 2020**

Kumari Selja, former Union Minister & PCC President Haryana and Shri Pritam Singh, PCC President Uttarakhand addressed the media at AICC Hdqrs., today.

कुमारी शैलजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि जो देशभर का किसान आंदोलन चल रहा है, हमारी राजधानी दिल्ली के चारों ओर जिस तरह से किसान लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर और राजनीतिक रुप से कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने कृषि मुद्दों को उठाया है, जबसे ये तीन काले कानून बने या उससे पहले अध्यादेश लाए गए। इनकी असलियत आप सबके सामने रखी गई, बार-बार रखी गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा और किसान संगठनों द्वारा। नई बात नहीं है।

7 बार केन्द्र सरकार ने किसान संगठनों को बुलाया डायलॉग के लिए। आज फिर, आज 30 तारीख है। नया साल आने वाला है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार केवल किसानों को उलझाए हुए है, अपने हठ में। जहाँ ये तक कह दिया जाए कि झुकने वाले नहीं हैं, तो इस चीज को जो प्रेस्टीज प्वाइंट बना लें तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या आगे बढ़ने का केवल दिखावा और ढोंग चल रहा है? नया साल आ रहा है, हमारी मांग भी है और हमारा सरकार से अनुरोध भी है, केन्द्रीय सरकार से कि राजहठ छोड़ें, लोकतंत्र में आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात सुनें। 62 करोड़ किसान जो कृषि पर आधारित है, किसान मजदूर, जिसकी आजीविका उस पर आधारित है और देशभर की 139 करोड़ जनसंख्या उन पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, तो क्या ये राजहठ उचित है?

बात ये है, मूल बात यही है कि आज एक बार फिर आपने किसानों को बुलाया है। हम उम्मीद करेंगे, हम आग्रह करेंगे, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को अपना हठ छोड़ना चाहिए, किसानों की बात को, हमारी बात को मानना चाहिए। तीनों काले कानून पहले खत्म करें और उसके बाद नए सिरे से एक नई शुरुआत नए साल में करें। देश को सौगात दें, किसान, मजदूर को नए साल की सौगात दें। 2020 अच्छा साल नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे हमारे अन्नदाता और

मजदूर की बात करें। नई शुरुआत करने का मौका है इस सरकार के पास। अपना हठ छोड़कर आगे बढ़ें। जो आप हाथ आगे बढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, आप असलियत में आगे बढ़िए, अन्नदाता को गले लगाईए और इस देश को एक नई सौगात दीजिए।

बहुत सी बातें इस सरकार ने कहीं हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, वो करने को तैयार हैं। कभी हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। अलग-अलग जगह जो भी बात, मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहूंगी कि हमारा किसान, हमारा मजदूर आज इतना ज्यादा ऐजीटेटिड है, दुखी है, सड़कों पर है, जगह-जगह पर, ना केवल दिल्ली के आस-पास, लेकिन हरियाणा भर में जगह-जगह पर हमारा किसान और मजदूर बैठा हुआ है। हड़ताल कर रहा है, अपनी आवाज सुना रहा है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। सारा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोगों में अपना मत खो चुकी है। हमारे यहाँ अकेले हरियाणा प्रदेश से 10 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं । सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा दें, नौकरी की बात करें। किसानों को आप दिखाईए कि किसान भी आपका हिस्सा है, हमारा हिस्सा हैं। हरियाणा की सरकार एकदम इस बात में पीछे हट चुकी है। कायदे से हमारे मुख्यमंत्री को क्योंकि हरियाणा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री को डेलिगेशन ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था। हरियाणा के किसान, मजदूर की पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते, कोशिश करते उनको समझाने की, क्योंकि दिल्ली में बैठे इनको सारी बातें नीचे की नजर नहीं आती हैं, बहुत ऊंचा बैठे हैं, जमीन की बात नजर नहीं आती है। तो मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने। हरियाणा के किसान, मजदूर की पीड़ा उनको सुनानी चाहिए थी। आप देखते हैं कि हरियाणा में कितने विधायक है, चाहे रुलिंग पार्टी के हो, रुलिंग पार्टी के सपोर्टिंग पार्टी के हों, निर्दलीय हों, कितने लोग आज के दिन समय-समय पर अपने आपको किसानों के साथ जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है।

तो सरकार को तो आप देखते हैं कि कार्यशैली, जो एक तानाशाह सरकार होती है, जो हर बार कोई ना कोई फरमान जारी कर देती है, बिना लोगों से बात किए। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई प्रेस्टिज प्वाइंट, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। देश की बात है, अन्नदाता, मजदूर की बात है, लोकतंत्र में लोगों की बात सर्वोपरी होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को, बात झुकने की नहीं है, बात जिद्द छोड़ने की है। किसानों को गले लगाने की बात है, आगे आना चाहिए, वो आने वाला समय है।

जैसा कि बार-बार कहा गया है, राहुल गांधी जी ने बार-बार कहा है, ये जो कॉर्पोरेट को ये गले लगाते है, किसान और मजदूरों के वनिस्पत, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोगों को तो आप फायदा दें और जो किसान है हमारा! धीरे-धीरे आगे क्या होगा- क्या नजर आ रहा है। आप मंडियां खत्म कर रहे हैं, प्रिक्योरमेंट कैसी होगी, जो हमारा गरीब इंसान है, उस तक आप राशन, अनाज, आटा कैसे पहुंचाएंगे, प्रिक्योरमेंट आप करेंगे नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं, उनके दफ्तर

खुल जाएंगे, चाहे उनकी मिल हों, चाहे कहीं हों, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा कि किसान को क्या हो रहा है। हाँ, जहाँ तक कॉर्पोरेटाइजेशन की बात है, that is to regulation, रेगुलेशन होगा, जीएसटी है, टैक्स है, ये टेढ़ा रास्ता है। आप देखेंगे कि पीछे के रास्ते से आगे ये टैक्स का बर्डन किसान तक भी पहुंच जाएगा। आगे-आगे कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब यही होता है, टैक्स, मुनाफा, मुनाफे पर टैक्स और जब पार्टनर किसान होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो उसका बर्डन किसान पर भी लाज्मी आगे आने वाले समय में आएगा ही आएगा। तो किसान का फायदा क्या कर रहे हैं? ना गरीब आदमी का फायदा कर रहे हैं, ना किसान का फायदा, ना मजदूर का फायदा, जो आज के दिन कार्य करता है। नागरिक का फायदा नहीं, केवल कुछ चंद कॉर्पोरेट लोगों का फायदा, मुनाफा नहीं, मैं तो कहूंगी मुनाफाखोरी की ओर जाएगा। कालाबाजारी की ओर जाएगा। जो होर्डिंग होती थी, वो होगा। हमारी मांग है क्योंकि हमारा, मेरा प्रदेश, हमारे यहाँ किसान बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम चाहेंगे कि हमारी आवाज इस सरकार, जो ये बहरी और अंधी सरकार हो चुकी है, उस तक पहुंचे और किसान को नए साल का देश को एक तोहफा मिले। सभी अपने घर जाएं, सभी लोग पनपे, फले-फूलें और ये देश आगे बढ़े। यही हम उम्मीद करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत–बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आपकी और हमारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आए। ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अभी शैलजा जी ने बड़े विस्तार से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के विपरीत जो तीन काले कानून पारित किए गए हैं, उसके परिपेक्ष्य में अपनी बात कही। मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से ये तीनों काले कानून पारित करने का काम किया गया, जब हमने राज्यसभा की कार्यवाही देखी, तो निश्चित रुप से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। इन तीन काले कानूनों के विरोध में किसान लगातार संघर्ष करता आ रहा है और सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो गई, लेकिन कोई नतीजा उस बातचीत का नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार हठधर्मिता पर है। एक ओर किसानों को न्योता देते हैं इस बात के लिए कि आईए, हम ऐक्रोस द टेबल बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर धमकी भरे लहजे में इस बात को भी कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। तो फिर कैसे डैडलॉक टूटेगा? ये जिम्मेदारी तो निश्चित रुप से केन्द्र की जो सरकार है, उसकी बनती है।

किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। कड़ाके की इस ठंड में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मजदूर, नौजवान, महिलाएं और बच्चे इस सर्द मौसम में दिल्ली की सीमाओं पर इस काले कानून के विरोध में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आपने निश्चित रुप से स्वयं वहाँ जाकर देखा होगा। मुझे भी मौका मिला, मैं भी वहाँ पर गया था, क्योंकि उत्तराखंड के हमारे किसान साथी इस काले कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि ये केन्द्र सरकार ने किसानों से तीन बातें कहीं, पहला वायदा किया था – मैं उत्तराखंड का जिक्र करना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड

की सरजमीं पर आते हैं और किसानों से ये वायदा करते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। कोई ऋण माफ नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का काम केन्द्र की सरकार करेगी। 2021 का आगाज होने जा रहा है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने का जो रास्ता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और तीसरी बात, किसानों को सम्मान निधि देने की बात केन्द्र सरकार ने कही।

मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद, में लक्सर तहसील में, दो गांवों का सर्वे हुआ। उसमें 185 लोगों का फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि देने का मामला आया है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोगों के पास जमीन नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी है। लगभग-लगभग 2 गांवों में 15 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और पूरे देश का आंकलन आप कर लीजिए कि क्या स्थिति सम्मान निधि की होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

किसान जो है, तीन काले कानून को लेकर संघर्ष कर रहा है सड़क पर, लेकिन केन्द्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और उनका कहना जायज है। एक ओर सरकार कहती है कि हम एमएसपी को समाप्त नहीं करेंगे। अगर आप एमएसपी को समाप्त नहीं करेंगे और आपने कानून बना दिया है, तो उस कानून में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? ये किसान पूछ रहा है। आपने मंडियों के परिपेक्ष में कहा कि प्राईवेट मंडियां जो हैं, वो अगर आएंगी तो किसान को लाभ पहुंचेगा। दोहरी व्यवस्था है – एक सरकारी मंडी है, दूसरी प्राईवेट आदमी की मंडी है। केन्द्र की सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, तो जो सरकारी मंडी होगी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की उपज को खरीदने का काम करेगी। लेकिन जहाँ प्राईवेट मंडी है, तो स्वाभाविक बात है, वो जो केन्द्र सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित होगा, उससे ज्यादा दामों पर किसानों की फसल खरीदने का काम करेगी और ये तीन–चार साल तक चलेगा। पर जब तीन-चार साल तक ये व्यवस्था चलेगी, सरकारी मंडी में किसान अपनी उपज नहीं लाएगा, प्राईवेट मंडी में ले जाएगा, तो राज्य सरकारें, जो सरकारी मंडियां होगी उसको स्वत: ही समाप्त कर देगी। कहाँ से हम जो मंडी में कर्मचारी है, कहाँ से उनकी तनख्वाहें हैं, कहाँ से उनका भुगतान करेंगे और जो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, तो प्राईवेट मंडी की मोनोपली हो जाएगी। फिर वो जिस दाम पर चाहेंगे उस दाम पर किसान से खरीद करने का काम करेगी। इसके साथ-साथ या तो सरकार इस बात की गारंटी करे कि जो प्राईवेट मंडी होगी, उसमें भी समर्थन मूल्य का कानून होगा, तब तो बात बनती है और अगर कानून से वो बाहर रहेंगे, दायरे से वो बाहर हैं, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा?

दूसरा काम जो सरकार ने किया है, 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें ये व्यवस्था थी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी पूंजीपति एक स्लैब तक, एक सीमा तक भंडारण कर सकता है। अगर उस सीमा से ज्यादा भंडारण करेगा तो उसके खिलाफ कालाबाजारी कानून के तहत कार्यवाही होगी। लेकिन इस सरकार ने बड़ी होशियारी से, इस कानून को समाप्त करने का काम किया है और पूंजीपतियों को सीधा-सीधा संरक्षण देने का काम किया है और कहा है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना भंडरण कर लीजिए। जब

कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति असीमित भंडारण करेगा, तो अपनी चीजों को बाहर कब निकालेगा- तब निकालेगा जब बाजार में मूल्य ज्यादा होंगे या उसकी जो टर्म और कंडीशन होगी, उसके आधार पर वो बाहर निकालने का काम करेगा। तो जहाँ किसान को नुकसान हो रहा है, वहीं आम उपभोक्ता को भी इसका नुकसान होगा। जो गरीब व्यक्ति मजदूरी करके दो वक्त का खाना अपने परिवार को देता है, तो जो महंगाई जब बढेगी तो उसका तो जीना दूभर हो जाएगा। उसका दुष्प्रभाव पूरे देश के हर व्यक्ति पर पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस कानून को बनाने से पहले पूंजीपतियों में और सरकार में कोई गुप्त समझौता हुआ। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंबानी और अडानी, जिनका जिक्र हम करते हैं, उनके सैकड़ों एकड़ में गोदाम बन गए। जब कानून था, तो उस कानून के तहत आप असीमित भंडारण कर ही नहीं सकते थे। लेकिन पर्दे के पीछे सब खेल हुआ और ये हालात है, ये स्थिति है कि आज किसान जो है इन तमाम चीजों को लेकर संघर्ष करने का काम कर रहा है। लगभग 35 दिन होने जा रहे हैं, सरकार सुध नहीं ले रही है।

उत्तराखंड राज्य का जिक्र करना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य के अंदर केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए घोषित करने का काम किया है। लेकिन हालत ये है, स्थिति ये है कि किसान का धान 1,200, 1,300 और 1,400 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, ये हालत है, ये स्थिति है और इसलिए किसान आंदोलनरत है। जब किसानों का आंदोलन शुरु हुआ तो उत्तराखंड से भी कई किसान जो हैं, दिल्ली के मोर्चे पर आए और 25 दिसंबर को जब किसान जो है, उत्तराखंड से जो है दिल्ली आ रहे थे, तो बैरिकेड लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन किसान ने शांतिपूर्ण तरीके से आवाहान किया कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वो दिल्ली आए और जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार ने लगभग 1,500 किसानों पर मुकदमें दर्ज करने का काम किया है। ये हालत, ये स्थिति है।

मैं समझता हूं कि आज देश का अन्नदाता संघर्ष कर रहा है निश्चित रुप से। कई बार सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि कांग्रेस किसान आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं यदि देश का अन्नदाता सड़कों पर होगा, तो फिर कांग्रेस मौन नहीं रह सकती। हम किसानों के साथ उनकी उचित मांगों के पक्ष में लामबंद होने का काम करेंगे, उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे और जो आंदोलन चला है, उस आदोंलन में हमसे जो बन पड़ेगा, वो करने का काम करेंगे।

हम केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, आज फिर से किसान और सरकार वार्ता की मेज पर है, इस वार्ता के माध्यम से ऐसा हल जो है, केन्द्र सरकार निकाले कि किसान नव वर्ष को जो है, अपने घर और गांव में मनाने का काम करे। लेकिन हठधर्मिता है, एक और किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी और धमकी भरे में लहजे में किसानों को धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसान कटिबद्ध है इस बात के लिए जब तक ये तीन काले कानून केन्द्र की सरकार वापस नहीं ले लेती है, वो संघर्ष की राह पर वो आगे बढ़ते रहेंगे और हालात और स्थितियां आपके सामने हैं। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो ये परिस्थितियां हैं उत्तराखंड राज्य की और किसानों की। इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम केन्द्र की सरकार से आग्रह करना

चाहते हैं कि आज की वार्ता में निश्चित रुप से किसानों के हितों को संरक्षित करने का काम केन्द्र की सरकार करे।

देश के रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कृषि बिलों को लेकर दिए बयान पर पूछे एक प्रश्न के उत्तर में कुमारी शैलजा ने कहा कि जहाँ तक कि माननीय रक्षामंत्री जी की बात है, उनको तो ये बोलना पड़ रहा है, सब जानते हैं कि ये जो हठ है, प्रधानमंत्री जी की ओर से ये देश को गंवारा नहीं है। अब उसमें चाहे कोई भी नेता हो मंत्री हों, उनको वही बात कहनी पड़ती है, जो जमीनी स्थिति के विपरीत है। कायदे से ये होना चाहिए था कि पहले बातचीत करते, उनसे संवाद करते और उसके बाद ये कानून या अध्यादेश लाते और अध्यादेश के बाद भी इनके पास बहुत समय था कि किसानों के जो संगठन हैं, उनसे बातचीत करते, डायलॉग करते या फिर कमेटी बैठाते आप, जो पार्लियामेंटरी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था, नहीं तो सिलैक्ट कमेटी बनाई जाती, जिसमें सभी पार्टियों के मेम्बर होते और इन संगठनों से बातचीत की जाती। आप आज कह रहे हैं कि हम 22 संशोधन कर सकते हैं, 22 संशोधन का क्या मतलब रहता है? अब संशोधन आप करने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दो साल पहले देख लो। कृपया एक बात पर आ जाइए, बात यही रहेगी कि आप इन कानूनों को पहले निरस्त करें, बातचीत करें किसानों से, सबको पहले समझाएं, उसके बाद से आप फिर देखें कि क्या हित है, क्या अहित है।

जो आप दो साल की बात कर रहे हैं, तो दो साल अब आगे जाने के क्या मायने हैं जब आप ये एक्सपेरीमेंट 2006 में बिहार में पहले कर चुके हैं औऱ वहाँ पर कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी आपने किसानों का हित या कृषि क्षेत्र को समझने की कोशिश न करते हुए केवल कॉर्पोरेट्स का हित समझकर आप ये कानून लेकर आए, तो आज के दिन जो इस तरह की बातें हैं, वो बेमायने रह जाती हैं। 2006 से अब तक जो आपको समझ नहीं आई हैं, जो आपको दिख नहीं रहा है, अब आगे आप क्या दिखाना चाहेंगे, ये केवल किसानों को, मजदूरों को बरगलाने की बात आ जाती है।

On a question about the 104 ex-bureaucrats writing a letter to UP CM Shri Yogi Adityanath that Uttar Pradesh has now become the epicentre of politics of hate & bigotry, Km Selja said- Well, I think, this is not a part of today's agenda, but, as any normal citizen would say that it is not just 104 retired IAS officers, who have actually served the country, but, any normal right thinking person would say that you cannot have these kind of laws in a country. I think, case after case, even the Courts are stepping in and saying that there are some issues which are between two individuals and they have to decide on their own, what to do, rather than bringing these extraneous issues into it.

Today, I would say - this is only part of BJP's, RSS divisive agenda. I don't know what useful purpose it will serve, this is just to show up some religious

agenda rather than giving justice to people. The Courts are also there to give justice. We already have enough provisions; I may point out even after this, so called these kinds of laws that have come into force, even after that the courts have decided to the contrary and many times you find and this is what we come to know as per media reports that even the law enforcement agencies, the police, they find it very difficult to put in place these kind of sections. So, I don't know what purpose it is serving as far as these individuals are concerned, but, certainly it is part of BJP's divisive agenda and they are doing it in state after state.

104 पूर्व नौकरशाहों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के नफरत की राजनीति का केंद्र बनने और लव-जिहाद पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कुमारी शैलजा ने कहा कि बात यही हो जाती है कि भाजपा का जो एजेंडा है लोगों को बांटने वाला है, ये उसी का हिस्सा है। कहाँ से ये मांग थी, कहाँ से कहाँ था, जो कन्वर्जन की बात है, वो अलग है, लेकिन इस तरह का ये नाम भी देना, जिस तरह से नाम दे रहे हैं, वो नाम अपने आप में लोगों को बांटने वाला नाम है। मुझे लगता है कि अगर कहीं या तो आप बताइए कि व्यापक रुप से, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, एक दिन में सामाजिक संस्थाएँ शादियाँ करती हैं, 50 लोगों की कर दीं, सौ लोगों की शादियाँ कर दी, तो वो एक मास मूवमेंट्स, सोशल होती है, ये इस तरह का कहीं नजर आया है क्या? अगर कोई व्यक्तिगत रुप से, कुछ इंडीविजुअल्स कुछ फैसला करते हैं और उसमे एडल्ट हैं, बालिग हैं, कुछ फैसला करते हैं, उसमें अगर बाद में आ जाती है कुछ इस तरह की बात, तो बहुत कानून हैं देश में और जो हमारे न्यायालय हैं, वो इसमें फैसला देते हैं, अभी भी ये कानून आने के बाद भी यूपी के ही न्यायालय ने ये फैसले दिए हैं कि ये तो इनके दो इंडीविजुअल्स की आपस की बात है और जहाँ कई जगह कोशिश की गई है, केवल दिखाने के लिए, इस एजेंडा को आगे करने के लिए या इस तरह की कोई शादी भी हुई हो, तो वहाँ पुलिस को भी ये लगा कि इसके प्रोवीजन वहाँ पर लागू करना कितना मुश्किल है और अभी तक ये उसमें कुछ कर नहीं पाए। तो ये केवल लोगों को बांटने का इनका एजेंडा है, नाम भी ऐसा दिया है, चाहे इसमें धर्म को लाने की कोशिश की है, तो ये तो एक ऐसी हरकत है जिससे किसी का फायदा तो होगा नहीं और लेकिन देश को बांटने का एजेंडा का हिस्सा ये जरुर हो सकता है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC